न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
155/2023	15.05.2023	30.01.2024

उनवान

1. श्रीमति कमला देवी पत्नी गोपाललाल सुथार, उम्र वयस्क निवासी जवाहरनगर भीलवाड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा
2. श्रीमति मंजु देवी पत्नी प्रहलाद सुथार, उम्र वयस्क, निवासी जवाहरनगर भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री शिवलाल पुत्र मांगीलाल सुथार, उम्र वयस्क, निवासी जवाहरनगर, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
2. लीला देवी पुत्री रामेश्वर सुथार, उम्र वयस्क, निवासी जवाहरनगर, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर सुथार, उम्र वयस्क, निवासी जवाहरनगर, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
4. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी रामेश्वर सुथार, उम्र वयस्क, निवासी जवाहरनगर, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
5. श्री दिनेश कुमार पुत्र रामेश्वर सुथार, उम्र वयस्क, निवासी जवाहरनगर, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
6. पारस देवी पुत्री रामेश्वर सुथार, उम्र वयस्क, निवासी जवाहरनगर, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
7. सैनियर सैकण्ड्री गैनवली स्कुल जवाहरनगर, भीलवाड़ा, जरिये डारेक्टर/ प्राद्यानाचार्य महोदय सैनियर सैकण्ड्री गैनवली स्कुल जवाहरनगर, भीलवाड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी नारायण लाल रेगर
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पांसल प0ह0 पांसल–प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 1221 की अभिलिखित आराजियात 3814, 3815 एवं

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

3821 कुल किता 03 कुल रकबा 0.8599 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 07 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पांसल प0ह0 पांसल–प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2076 के खाता संख्या 1221 की अभिलिखित आराजियात 3814, 3815 एवं 3821 कुल किता 03 कुल रकबा 0.8599 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा